

Receipt no. 10
12/12/2006

राजस्थान सरकार
स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग
प्रारंभिक शिक्षा विभाग (आयोजना) अनुभाग

क्रमांक : प.15(5)शिक्षा-1/प्रा.शि./2003 पार्ट-1

जयपुर, दिनांक: 23/11/06.

आयुक्त,
प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर।

विषय: राज्य में निजी क्षेत्र में संचालित शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को दो वर्षीय शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शैक्षिक सत्र 2006-07 के लिए प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित किये जाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार निम्नलिखित 9 निजी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को वर्ष 2006-07 में संस्थान के नाम के सम्मुख कॉलम संख्या 3 में अंकित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में कॉलम संख्या 4 में अंकित सीटों की संख्या के साथ प्रवेश प्रक्रिया हेतु काउन्सलिंग में सम्मिलित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र.सं	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	सीट संख्या
1	2	3	4
1.	टेगोर शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान रीगंस, सीकर	एस.टी.सी.	50
2	भारतमाता टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल किशनगंज, बारा	एस.टी.सी.	50
3	सर्वोदय टीचर ट्रेनिंग इन्सटीट्यूशन विज्ञान नगर कोटा	एस.टी.सी.	50
4	मौ भारती शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय तलवन्डी, कोटा	एस.टी.सी.	50
5	गोविन्दम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, वानसूर, अलवर	एस.टी.सी.	50
6	आर्य शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय दोलतपुर (कतराथल) सीकर	एस.टी.सी.	50
7	श्री महर्षि दाधीच टीचर ट्रेनिंग कॉलेज केशवपुरा, कोटा	एस.टी.सी.	50
8	मॉडर्न एज्युकेशन सोसायटी टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर	एस.टी.सी.	50
9	श्री मत्स्य एलीमेंट्री टीचर ट्रेनिंग इन्सटीट्यूट, खेडली, अलवर	एस.टी.सी.	50

उपरोक्त वर्णित संस्थाओं में निम्न शर्तों के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ करवाई जावे।


1. प्रवेश हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता सीनियर सेकण्डरी अकादमिक परीक्षा (10+2) अथवा समकक्ष परीक्षा कम से कम 45 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण होना चाहिये, इन परीक्षाओं को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान अजमेर के समकक्ष राज्य सरकार की मान्यता पर ही प्रवेश दिया जाये। इसी के साथ अभ्यर्थी को सैकण्डरी अथवा समकक्ष परीक्षा न्यूनतम 5 विषयों के साथ जिनमें से 3 विषय हिन्दी, अंग्रेजी व गणित आवश्यक रूप से हों, उत्तीर्ण होना चाहिये।

2. शैक्षिक सत्र 2006-07 में बीएसटीसी पाठ्यक्रम में प्रवेश अर्हकारी परीक्षा अर्थात् सीनियर सेकण्डरी परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांकों के आधार पर तैयार वरीयता सूची के आधार पर किया जायेगा।
3. विभिन्न प्रशिक्षण विद्यालयों/संस्थाओं में आवंटित सीटों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग महिलाओं, भूतपूर्व सैनिकों एवं विकलांगों आदि के लिए आरक्षण राज्य सरकार के वर्तमान में प्रभावी नियमों के अनुसार किया जायेगा।
4. पाठ्यक्रम में महिलाओं हेतु आरक्षित सीटों में से 10 प्रतिशत सीटें विधवा/परित्यक्ता महिलाओं हेतु आरक्षित रखी जायेंगी।
5. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आयु सीमा राज्य सरकार के वर्तमान में प्रचलित नियमों के अनुसार रखी जायेगी।


 25.11.2006
 शासन उप सचिव
 प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना)

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार
2. निजी सचिव, प्रमुख शारान सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा।
4. पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षार्थ, राजस्थान, बीकानेर।
5. निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर।
6. प्रधानाचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, गोनर जयपुर।
7. संबंधित संस्था
8. रक्षित पत्रावली।


 25.11.2006
 शासन उप सचिव